राज्य सरकार और सीबीआई : एक प्रश्न

यह आलेख सामान्य अध्ययन प्रश्न-पत्र-II (शासन व्यवस्था) से संबंधित है।

इंडियन एक्सप्रेस

लेखक - दीप्तीमान तिवारी (संपादक)

19 नवम्बर, 2018

आंध्र प्रदेश और बंगाल द्वारा सीबीआई जांच के लिए सामान्य सहमति को नामंजूर कर दिया गया है। सीबीआई को सहमति की आवश्यकता क्यों पड़ती है, कितने राज्यों ने इसे मंजूरी दे दी है या इनकार कर दिया है, इन दो राज्यों में अनुमति न देने से सीबीआई कितना दूर हो गया है? इन सभी प्रश्नों का जवाब हम इस आलेख के माध्यम से जानेंगे।

शुक्रवार को, आंध्र प्रदेश और पश्चिम बंगाल की सरकारों ने सीबीआई को अपने संबंधित राज्यों में मामलों की जांच के लिए सामान्य सहमति देने से इनकार कर दिया है। राज्य सरकारों ने कहा है कि सीबीआई में एजेंसी के शीर्ष अधिकारियों के बीच खुले युद्ध के कारण उत्पन्न हुई आंतरिक अशांति के कारण ही उनका विश्वास सीबीआई पर से उठ गया हैं। उन्होंने यह भी आरोप लगाया है कि केंद्र विपक्षी दलों को अन्यायपूर्ण तरीके से लक्षित करने के लिए सीबीआई का उपयोग कर रहा है।

सामान्य सहमति क्या है?

राष्ट्रीय जांच एजेंसी (एनआईए) के विपरीत, जो अपने स्वयं के एनआईए अधिनियम द्वारा शासित है और इसका अधिकार क्षेत्र देश भर में मौजूद है, सीबीआई दिल्ली विशेष पुलिस प्रतिष्ठान अधिनियम द्वारा शासित है और इसीलिए इसे किसी भी राज्य में जांच करने के लिए राज्य सरकार की अनुमति लेना अनिवार्य है।

सहमति दो प्रकार की होती है: केस-विशिष्ट और सामान्य। यह देखते हुए कि सीबीआई के पास केवल सरकारी विभागों और कर्मचारियों के ऊपर ही अधिकार क्षेत्र होता हैं, इसलिए यह राज्य सरकार के कर्मचारियों या राज्य में किसी हिंसक अपराध से जुड़े मामलों की जांच राज्य सरकार द्वारा सहमति मिलने के बाद ही कर सकता है।

आम सहमति, आम तौर पर सीबीआई को संबंधित राज्य में केंद्रीय सरकारी कर्मचारियों के खिलाफ भ्रष्टाचार के मामलों में अपनी जांच करने में मदद करने के लिए दी जाती है। लगभग सभी राज्यों ने ऐसी सहमति दी है। अन्यथा, सीबीआई को हर मामले में सहमति की आवश्यकता होगी। उदाहरण के लिए, यदि वह मुंबई में पश्चिमी रेलवे क्लर्क के खिलाफ़ रिश्वत से संबंधित मामले की जांच करना चाहता है, तो उसे मामला दर्ज करने से पहले महाराष्ट्र सरकार से सहमति की आवश्यकता होगी।

सहमति वापस लेने का अर्थ क्या है?

इसका मतलब यह हुआ कि सीबीआई केंद्र सरकार के अधिकारी या इन दोनों राज्यों में स्थित एक निजी व्यक्ति से संबंधित किसी भी नए मामले की जांच केस-विशिष्ट सहमति के बिना करने में सक्षम नहीं होगा। सहमति वापस लेने का साफ-साफ अर्थ यह हुआ कि "सीबीआई अधिकारी कथित राज्य में बिना सहमति हो जाने के बाद एक पुलिस अधिकारी की सभी शक्तियों को खो देगा, जब तक की राज्य सरकार उन्हें सहमति नहीं प्रदान कर देता है।

किस प्रावधान के तहत सामान्य सहमति वापस ले ली जाती है?

8 नवंबर को आंध्र प्रदेश गृह विभाग में कार्यरत प्रधान सचिव एआर अनुराधा द्वारा सरकारी आदेश संख्या 176 में जारी किया गया, जिसमें कहा गया कि दिल्ली विशेष पुलिस प्रतिष्ठान अधिनियम, 1946 की धारा 6 द्वारा प्रदत्त शक्ति के प्रयोग में (1946 का केंद्रीय अधिनियम संख्या 25), सरकार आंध्र प्रदेश राज्य में दिए गए अधिनियम के तहत शक्तियों और क्षेत्राधिकार का प्रयोग करने के लिए दिल्ली विशेष पुलिस प्रतिष्ठान के सभी सदस्यों को 3 अगस्त, 2018 को भारत सरकार के 1099 (एससीए) विभाग में दी गई सामान्य सहमति वापस लेती है।

अधिनियम की धारा 6 में कहा गया है कि धारा 5 (जो कि सीबीआई के अधिकार क्षेत्र से संबंधित है) में ऐसा कुछ भी शामिल नहीं है, जो दिल्ली विशेष पुलिस प्रतिष्ठान के किसी भी सदस्य को राज्य, संघ शासित प्रदेश या रेलवे क्षेत्र में शक्तियों और क्षेत्राधिकार का प्रयोग करने के लिए सक्षम करता है।

क्या इसका मतलब यह हुआ कि सीबीआई अब इन दो राज्यों में किसी भी मामले की जांच नहीं कर सकती है?

इसका जवाब है बिल्कुल नहीं, ऐसा नहीं है। सीबीआई के पास अभी भी सामान्य सहमति होने पर पंजीकृत पुराने मामलों की जांच करने की शक्ति होगी। इसके अलावा, देश में कहीं भी पंजीकृत मामले, लेकिन आंध्र प्रदेश और पश्चिम बंगाल में स्थित लोगों को शामिल करने से, इन राज्यों में सीबीआई के अधिकार क्षेत्र को विस्तारित करने की अनुमति मिलेगी।

राज्य सरकार की सहमति के बिना पुराने मामले के संबंध में एजेंसी दोनों राज्यों में से किसी एक में खोज या सर्च कर सकती है या नहीं, इस पर अस्पष्टता है। हालांकि, इसके साथ-साथ कानूनी उपचार भी हैं। सीबीआई हमेशा राज्य में स्थानीय अदालत से सर्च वारंट प्राप्त कर सकती है और खोजों का संचालन कर सकती है। यदि खोज के लिए अधिक शक्ति की आवश्यकता होती है, तो सीआरपीसी धारा 166 है, जो एक अधिकार क्षेत्र के एक पुलिस अधिकारी को उसकी ओर से खोज करने के लिए किसी अन्य अधिकारी से पूछने की अनुमति देता है।

ताजा मामलों में क्या होता है?

सहमति वापस लेने से सीबीआई को केवल आंध्र और बंगाल के अधिकार क्षेत्र में मामला दर्ज करने से रोक दिया जाएगा। सीबीआई अभी भी दिल्ली में मामला दर्ज कर सकती है और दोनों राज्यों के अंदर लोगों की जांच जारी रखती है।

11 अक्टूबर, 2018 दिल्ली उच्च न्यायालय के आदेश ने यह स्पष्ट कर दिया है कि अगर राज्य उस मामले में पंजीकृत नहीं है तो एजेंसी किसी ऐसे राज्य में जांच कर सकती है जिसने सामान्य सहमति वापस ले ली है। छत्तीसगढ़ में भ्रष्टाचार के मामले के बारे में आदेश दिया गया था, जो केस-टू-केस आधार पर भी सहमति देता है। अदालत ने आदेश दिया कि सीबीआई छत्तीसगढ़ सरकार की पूर्व सहमति के बिना मामले में जांच कर सकती है क्योंकि यह दिल्ली में पंजीकृत थी।

इस प्रकार, यदि एक राज्य सरकार का मानना है कि सत्तारूढ़ दल के मंत्रियों या सदस्यों को केंद्र के आदेश पर सीबीआई द्वारा लक्षित किया जा सकता है और सामान्य सहमति को वापस लेने से उनकी रक्षा होगी, तो यह गलत धारणा है (विशेषज्ञों के अनुसार)। एक सीबीआई अधिकारी ने कहा कि सीबीआई अभी भी दिल्ली में मामला दर्ज कर सकती है, जिसके लिए दिल्ली से जुड़े अपराध के कुछ हिस्से की आवश्यकता होगी और अभी भी मंत्रियों या सांसदों को गिरफ्तार और उन पर मुकदमा चलाया जा सकता है। एकमात्र लोग जो रक्षा करेंगे वह छोटे केंद्रीय सरकारी कर्मचारी हैं।

क्या पहली बार राज्य सरकार ने सहमति वापस ले ली है?

नहीं। पिछले कुछ वर्षों में कई राज्यों ने ऐसा किया है, जिसमें सिक्किम, नागालैंड, छत्तीसगढ़ और कर्नाटक जैसे राज्य शामिल है। वर्ष 1998 में, जे एच पटेल की जनता दल की अगुवाई वाली सरकार ने सामान्य सहमति वापस ले ली थी। वर्ष 1999 में, एस. एम. कृष्णा की अगुआई वाली कांग्रेस सरकार ने पटेल के आदेश को रद्द नहीं किया था। तत्कालीन राज्य गृह मंत्री मल्लिकार्जुन खड़गे, लोकसभा में कांग्रेस के मौजूदा नेता थे। आठ साल तक सामान्य सहमति का नवीनीकरण नहीं किया गया था। सीबीआई में एक अधिकारी ने कहा, उस दौरान सीबीआई को अपने कार्यालय को लगभग बंद करना पड़ा था। उन्होंने कहा कि एजेंसी को हर मामले और केंद्र सरकार के कर्मचारियों पर आयोजित हर खोज के लिए राज्य सरकार की अनुमति लेनी पड़ती थी।

GS World डीम...

केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो

चर्चा में क्यों?

- हाल ही में आंध्र प्रदेश और पश्चिम बंगाल की सरकार ने राज्य में छापे मारने और जांच के लिए सीबीआई को दी गयी सामान्य सहमति को वापस ले लिया है।
- सरकारी आदेश में कहा गया, दिल्ली विशेष पुलिस प्रतिष्ठान अधिनियम, 1946 की धारा (6) के तहत दी गई शक्तियों का इस्तेमाल करते हुए, सरकार दिल्ली विशेष पुलिस प्रतिष्ठान के सभी सदस्यों को आंध प्रदेश राज्य में इस कानून के तहत शक्तियों तथा क्षेत्राधिकार के इस्तेमाल हेतु दी गई सामान्य रजामंदी वापस लेती है।

क्यों लेनी पड़ती है राज्य सरकार से सहमति?

- राष्ट्रीय जांच एजेंसी का अपना एक अलग कानून है जिसे एनआईए एक्ट कहा जाता है। सीबीआई दिल्ली स्पेशल पुलिस स्टेबलिशमेंट एक्ट के तहत काम करती है।
- किस कारण उसे किसी भी राज्य में जांच करने से पहले राज्य सरकार की इजाजत लेनी पड़ती है। सीबीआई के न्यायिक दायरे में केवल केंद्र सरकार के विभाग ही आते हैं इसलिए सीबीआई को किसी भी राज्य में जांच से पहले राज्य सरकार से इजाजत लेनी पड़ती है।

अगर सहमति नहीं है तो अब क्या होगा?

- इसका मतलब यह हुआ कि अब इन दोनों राज्यों में सीबीआई के पास अब किसी भी तरह का कोई अधिकार नहीं है। अब चाहे केंद्र सरकार का कर्मचारी हो या राज्य सरकार का अधिकारी हो, सीबीआई अब किसी के भी खिलाफ केस रजिस्टर नहीं कर सकती।

कौन-सा कानून सीबीआई को राज्य से इजाजत लेने को कहता है?

- दिल्ली स्पेशल पुलिस स्टेबलिशमेंट एक्ट के सेक्शन 6 के तहत किसी भी राज्य में किसी भी तरह की जांच से पहले सीबीआई को राज्य सरकार से इजाजत लेनी पड़ती है।
- बगैर इजाजत सीबीआई राज्य में किसी के भी खिलाफ कोई केस रजिस्टर नहीं कर सकती। यह कोई पहला मामला नहीं है इससे पहले भी कई राज्य जैसे नागालैंड, सिक्किम, मिजोरम और छत्तीसगढ़ सीबीआई पर रोक लगा चुके हैं।

क्या किसी भी मामले में जांच नहीं कर पाएगी सीबीआई?

- राज्य सरकार द्वारा जांच पर रोक के बाद अब सीबीआई केवल उन्हीं मामलों में जांच कर सकती है जो केस इस रोक से पहले रजिस्टर हुए हैं। ऐसे में किसी भी मामले में आरोपी को पूछताछ के लिए सीबीआई राज्य से बाहर बुला सकती है लेकिन अभी ये बात साफ नहीं हो पाई है कि सीबीआई राज्य की इजाजत के बिना सर्च ऑपरेशन कर सकती है या नहीं।
- अगर कोई राज्य सीबीआई को इजाजत नहीं देता तो सीबीआई दिल्ली में ही केस दर्ज कर जांच शुरू कर सकती है।

सीआरपीसी की धारा 166 के तहत कोई भी पुलिस अधिकारी लोकल कोर्ट से अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर जा कर सर्च करने की अनुमति ले सकता है।

केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) क्या है?

- केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन) या 'सीबीआई' भारत सरकार की प्रमुख जाँच एजेन्सी है।
- यह आपराधिक एवं राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़े हुए भिन्न-भिन्न प्रकार के मामलों की जाँच करने के लिए लगायी जाती है।
- सीबीआई कार्मिक इसके अधिकार एवं कार्यक्षेत्र एफबीआई की तुलना में बहुत सीमित हैं। इसके अधिकार एवं कार्य दिल्ली विशेष पुलिस संस्थान अधिनियम, 1946 से परिभाषित हैं। भारत के लिए सीबीआई ही इन्टरपोल की आधिकारिक इकाई है।
- केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) के वर्तमान अंतरिम निदेशक एम. नागेश्वर राव हैं।
- केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो के संस्थापक एवं प्रथम निदेशक डी. पी. कोहली थे, जिन्होंने 01 अप्रैल, 1963 से 31 मई, 1968 तक कार्यभार संभाला था।

पृष्ठभूमि

- केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो, जिसकी स्थापना वर्ष 1941 में भारत सरकार द्वारा विशेष पुलिस स्थापना (एसपीई) के तहत की गई थी, अपने गठन के उद्देश्य की ओर अग्रसर है।
- उस समय एसपीई का मुख्य कार्य दूसरे विश्वयुद्ध के दौरान भारत के युद्ध तथा आपूर्ति विभाग में लेन-देन में रिश्वतखोरी और भ्रष्टाचार के मामलों की जांच-पड़ताल करना था।
- एसपीई युद्ध विभाग के देख-रेख में था। यहाँ तक कि युद्ध के समाप्त होने तक की केन्द्रीय सरकार द्वारा कर्मचारियों से संबंधित रिश्वतखोरी और भ्रष्टाचार के मामलों की जांच करने के लिए एक केन्द्रीय सरकार की जाँच एजेंसी की जरूरत महसूस की गई थी।
- इसलिए, 1946 में दिल्ली विशेष पुलिस स्थापना अधिनियम को लागू किया गया। यह अधिनियम एसपीई के अधीक्षण को गृह विभाग को हस्तांतरित करता है और इसके कार्यों के परिधि को बढ़ाकर भारत सरकार के सभी विभागों को करता है।
- एसपीई का कार्यक्षेत्र सभी संघ शासित राज्यों को शामिल करता है और राज्य सरकार की सहमति से राज्य में इसे लागू किया जा सकता है।

संभावित प्रश्न (प्रारंभिक परीक्षा)

1. निम्नलिखित में से किस राज्य ने राज्यीय मामलों की जांच में सीबीआई जांच के लिये 'सामान्य सहमति' देने से इंकार कर दिया है?
   1. तेलंगाना
   2. आंध्रप्रदेश
   3. पश्चिम बंगाल
   4. केरल

   कूट:
   (a) 1, 2 और 3
   (b) 2, 3 और 4
   (c) 2 और 3
   (d) 1, 2, 3 और 4

2. निम्नलिखित में से क्या कारण है कि सीबीआई को राज्य के मामलों में जांच के लिये राज्य की सहमति अनिवार्य है?
   (a) सीबीआई का संवैधानिक होना
   (b) सीबीआई का गैर-संवैधानिक होना
   (c) सीबीआई का दिल्ली विशेष पुलिस प्रतिष्ठान अधिनियम द्वारा शासित होना
   (d) उपर्युक्त में से कोई नहीं

3. सीबीआई के अधिकार के सम्बन्ध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
   1. सीबीआई को किसी भी मामले और किसी भी राज्य के कर्मचारियों एवं विभागों की जांच के लिए राज्य से अनुमति से मुक्ति प्रदान की गयी है।
   2. सीबीआई किसी भी स्थिति में राज्य के अधीन मामलों की जाँच नहीं कर सकती है।

   उपर्युक्त में से कौन-सा/से कथन सत्य है/हैं?
   (a) केवल 1
   (b) केवल 2
   (c) 1 और 2 दोनों
   (d) न तो 1, न ही 2

संभावित प्रश्न (मुख्य परीक्षा)

प्रश्न: सीबीआई जांच के संदर्भ में 'सामान्य सहमति' से क्या अभिप्राय है? हाल ही में भारत के दो राज्यों ने अपने अधीन मामलों की जांच में सामान्य सहमति देने से इन्कार कर दिया है इससे कहां तक इन राज्यों में सीबीआई के जांच का अधिकार प्रभावित होगा? विश्लेषण कीजिए। (250 शब्द)

नोट :

17 नवम्बर को दिए गए प्रारंभिक परीक्षा (संभावित प्रश्न) का उत्तर 1(a), 2 (c) और 3(c) होगा।